



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 8 सितम्बर, 2021

भाद्रपद 17, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-7 (क०नि०)

संख्या 6/2021/344/सात-न्याय-7-2021-21-2010

लखनऊ, 8 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-63

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) की धारा 22ख की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सिफारिश पर नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति को उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिले के स्थायी लोक अदालत के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करती हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	जिला का नाम	स्थायी लोक अदालतों हेतु नामनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम
1	2	3
1	जालौन	श्री रामबाबू केवट, पुत्र श्री लच्छीराम, निवासी इन्द्रा कालोनी, कालपी रोड, उरई, जिला जालौन

आज्ञा से,
प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-II
प्रमुख सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/2021/344/VII-Nyaya-7- 2021-21-2010, dated September 8, 2021 :

No. 6/2021/344/VII-Nyaya-7- 2021-21-2010
Dated Lucknow, September 8, 2021

IN exercise of the powers under clause (b) of sub-section (2) of section 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no. 39 of 1987), the Governor, on the recommendation of the State Legal Services Authority, is pleased to nominate the person mentioned in Column-3 of the Schedule below as member of the permanent Lok Adalat of the district mentioned in Column-2 of the said Schedule .

SCHEDULE

Sl No.	Name of District	Name of the person/persons nominated for permanent Lok Adalats
1	2	3
1	Jalaun	1. Shri Rambabu Kewat, Son of Shri Lachhi Ram, Resident of Indra Colony, Kalpi Road, Orai, District-Jalaun

By order,
PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA-II,
Pramukh Sachiv,
Nyaya Evam Vidhi Paramarshi.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 314 राजपत्र-(669)-2021-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० न्याय-(670)-2021-100 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।